जागरण सिंगरौली, गुरुवार 28 मार्च 2019

ई-वेस्ट का हो समुचित डिस्पोजल

जागरूकता को लेकर आयोजित की गयी कार्यशाला

जागरण, विंध्यनगर। प्रदूषण के बढ़ते मानकों में एक कारण विभिन्न स्थानों से निकलने वाले ई-वेस्ट का समुचित डिस्पोजल न होना है। ई-वेस्ट के समुचित डिस्पोजल और इसके रिसाइक्लिक उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एनटीपीसी विन्ध्याचल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली के आयोजकत्व में ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुय अतिथि के रूप में एनटीपीसी विन्ध्याचल परियोजना के महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण सुनील कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ.फजल हुसैन यूनिक ईको रिसाइकल इंदौर मौजूद रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी केएल चौधरी एवं कार्यपालन यंत्री श्री बाल्मिकी ने अतिथियों का माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अपने स्वागत भाषण में क्षेत्रीय अधिकारी केएल चौधरी ने म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि इसकी व्यवस्था करने के साथ-साथ इसे पालन करने एवं इसकी महत्ता को समझाया। उन्होंने बताया कि ई-वेस्ट का समुचित डिस्पोजल आवश्यक है। जिससे इससे होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विन्ध्याचल के महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण सुनील कुमार ने भी ई-वेस्ट के आवश्यक उपयोग और इसके डिस्पोजल के बारे में लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। कार्यक्रम में उपस्थित डॉ.फजल हुसैन द्वारा ई-वेस्ट प्रबंधन के समुचित डिस्पोजल और इसके रिसाइक्लिक उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ई-वेस्ट का रिसाइकल तरीके से उपयोग कर इसका समुचित डिस्पोजल किया जा सकता है। फजल हुसैन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत ई-वेस्ट रिसाइकिल हैं। उनका ई-वेस्ट डिस्पोजल का संयंत्र इंदौर में संचालित है। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी, एनसीएल, हिण्डालको, सासन पावर, सासन कोल माइंस, एस्सार, जेपी आदि कंपनियों के तकरीबन 60 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर सिंगरौली, गुरुवार, 28 मार्च 2019

बढ़ा रहा इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक ई-वेस्ट का खतरा

निज संवाददाता | सिंगरौली (वैढ़न)

रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने घर, ऑफिस से लेकर लोग अपने साथ इतनी तरह की सामग्रियों को लेकर चलते रहते हैं। जो उपयोग करने के कुछ समय बाद खराब होने पर कचरे में फेंक दिये जाते हैं। इन सामग्रियों में बड़ी तादात इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की भी है। जिन्हे खराब होने के बाद आप अन्य कचरे के साथ ही रखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पर्यावरण और आपकी सेहत के लिये किसी खतरे से कम नहीं है। नतीजा, हर तरह से जीव-जन्तुओं के लिये ये हानिकारक है और इसे लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। यह बात सामने आयी है बुधवार को एनटीपीसी विंध्यनगर के विश्वशरैया हॉल में आयोजित कार्यशाला में। जिसका, आयोजन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया था। कार्यशाला में इंदौर से आये थे इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक ई-वेस्ट के रिसाइकिलिंग प्लांट के संचालन डॉ. फजल हुसैन। जिन्होंने वर्तमान में काफी तेजी से फैल रहे इस खतरे से लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक ई-वेस्ट को लेकर लोग सोचते हैं कि इससे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन उपकरणों में ऐसे केमिकल, गैस से लेकर जहरीले पदार्थ रहते हैं। जो अपने किसी न किसी तरह के दुष्प्रभाव से पर्यावरण हो हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। उन्होंने बताया कि आज टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, मोबाइल, एलईडी बल्क, मोबाइल आदि की चिप से लेकर अन्य तरह की सामग्रियों का उपयोग सभी करते हैं और फिर इनके खराब होने के बाद इन्हें अन्य कचरों के साथ नहीं रखें, बल्कि इन्हें अलग से स्टोर करें।

जिले से हटा सकते हैं इस ई-वेस्ट को

कार्यशाला में डॉ. हुसैन द्वारा इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक ई-वेस्ट के खतरे की जानकारी मिलने के बाद वहां मौजूद लोगों ने इससे निजाद पाने का रास्ता उनसे पूछा। जिसमें डॉ. हुसैन ने बताया फिलहाल इस तरह के ई-वेस्ट को पूरी तरह से नष्ट करने का कोई कारगर रास्ता नहीं है। इसलिये इसकी रिसाइकिलिंग एक अहम उपाय है। उन्होंने बताया कि इंदौर में उनका खुद का रिसाइकिलिंग प्लांट है जो कि इस तरह की रिसाइकिलिंग का प्रदेश का अकेला प्लांट है। ऐसे में अगर सिंगरौली में इस तरह के ई-वेस्ट को अलग से स्टोर कर एक जगह कलेक्ट कराया जाएगा। तो वह इसे अपने यहां इंदौर स्थित प्लांट में ले जाकर रिसाइकिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिये एक बड़ी कारगर प्लानिंग की जरूरत है और कार्यशाला के आयोजक पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड इसके लिये प्लानिंग करेगा।

ये रहे उपस्थित

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में एनटीपीसी विंध्याचल के ओएंडएम विभाग से सुनील कुमार, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के रीजिनल ऑफीसर केएल चौधरी, एसडी वाल्मीकि समेत एनसीएल, पॉवर प्लांटों और नगर निगम के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पत्रिका . जबलपुर, मंगलवार, 26 मार्च, 20

ई-वेस्ट को लेकर सेमीनार, रखना होगा रिकार्ड

शहडोल. ई - वेस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए ई वेस्ट प्रबंधन पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में दुकानदार, सुधारक, सर्विस सेंटल, नगरीय निकायों के साथ बैंक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा और कार्यपालन यंत्री एसपी झा ने ई - वेस्ट के दुष प्रभाव और बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी।

प्रदूषण से बचने सतर्कता की आवश्यक कार्यशाला में अधिकारी ने दिए मंत्र

शहडोल (आरएनएन)। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जल-थल और वायु के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल घटक जिनमें कम्प्यूटर, फोन, एसी, टीव्ही, बैटरी, मोबाइल आदि ऐसे उत्पाद जो अच्छी तरह चलने के योग्य नहीं रह जाते, ये उत्पाद ई-वेस्ट की श्रेणी में आते हैं, एक सर्वेक्षण के अनुसार शहडोल नगर में प्रतिवर्ष 28 टन ई-वेस्ट का जनरेशन प्रतिवर्ष औसत होता है, ई-वेस्ट के प्रभाव से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, उनके संपर्क के आने वाले व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे त्वचा रोग, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं सब समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित प्रबंधन और निपटारा है।

घातक है ई-प्रदूषण

कार्यशाला के प्रारंभ में क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का परिचय प्राप्त किया और ई-वेस्ट के उचित निपटारे के संबंध में अपनी बात रखी। उन्होंने अतिथियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में ध्वनि, जल एवं वायु प्रदूषण के साथ ई-प्रदूषण भी भयावह रूप धारण करता जा रहा है। घरों से निकलने वाले कूड़ा-करकट एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ केवल सम्पर्क में आने वाले लोगों एवं जीव-जन्तुओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन ई-वेस्ट एक ऐसा अपशिष्ट है जिसके प्रभाव में आने वाली भूमि, हवा, पर्यावरण एवं जीव-जन्तु सभी पर इसका घातक असर होता है।

रिसाइकिलिंग की है व्यवस्था

पीसीबी के ईई एस.पी.झा ने प्रोजेक्टर पर ई-अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग के बाद ई-वेस्ट कहलाता है, इनमें पाया जाने वाला घातक रसायन, ग्लास, प्लास्टिक जिसमें कैडिमियम, मर्करी जैसी जहरीली धातुएं पाई जाती है, जो मानव या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिये पर्याप्त है। हमारे द्वारा ई-वेस्ट का प्रबंधन तीन चरणों में किया जा रहा है, जिसमें पहली प्रक्रिया कलेक्शन, दूसरी प्रक्रिया डिस्मेंटल व तीसरी प्रक्रिया रिसाइकिंलिग की है, यदि किसी भी ऐसे फर्म जो ई-अपशिष्ट के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करते पाया जायेगा, तो उसे पर्यावरण सर्वेक्षण अधिनियम 1986 के तहत डेढ़ से 05 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अब इस बात को पूर्ण रूप से दृष्टिगत किया गया कि उत्पादनकर्ता अनिवार्य रूप से ई-वेस्ट के प्रबंधन की व्यवस्था करें। इसके लिये अपशिष्ट के अनुरूप कई तरह के फार्म उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आज हमें चाहिए कि हम इस घातक समस्या के प्रति आमजन को जागरूक करें, जिससे ई-वेस्ट का उचित प्रबंधन व निपटारा हो सके।

ये रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में जयसिंहनगर, धनपुरी और ब्योहारी नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बिक्री करने वाले व्यापारी गण व मोबाइल विक्रेता उपस्थित रहे।

कार्यशाला में उठा सवाल, पॉलीथिन पर जब प्रतिबंध है तो आखिर बाजार में कहां से आ रही

ई-वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट के खतरे से विशेषज्ञों ने किया सचेत

नगर संवाददाता | रीवा

ई-वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट की वजह से होने वाले खतरों को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रीवा इकाई द्वारा मंगलवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ ही सामाजिक संगठनों के लोगों को भी बुलाया गया। इसके साथ ही इस कार्यशाला में छात्रों की सहभागिता भी दर्ज कराई गई। ई-वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट के खतरे से विशेषज्ञों ने लोगों को सचेत किया। इस कार्यशाला में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने विशेषज्ञों से सवाल भी किए। कार्यशाला में सवालों की झड़ी के बीच उस समय विशेषज्ञ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैरान रह गए जब यह पूछा गया कि सरकार ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया है लेकिन इसके बाद भी बाजार में खुलेआम बिक रही है। आखिर यह पॉलीथिन कहां से आती है। यदि उस स्थान पर ही कार्यवाही हो जाय जहां पॉलीथिन का निर्माण होता है तो सारी समस्या ही दूर हो जाये। इस कार्यशाला में ई-वेस्ट पर इंदौर से आए डॉ. फजल हुसैन ने उपयोगी जानकारी दी। जबकि प्लास्टिक वेस्ट पर भोपाल से आए सार्थक संस्था के परियोजना हेड इम्तियाज अंसारी ने महत्वपूर्ण बातों को रखा। कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि जिला प्रशासन, नगरीय निकाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आपसी सामंजस्य से ही इस दिशा में बेहतर कार्य हो सकता है। कार्यशाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. आरएस परिहार एवं रिएक्ट संस्था के डॉ. मुकेश येंगल ने भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। विंध्या रिट्रीट में आयोजित इस कार्यशाला में डॉ. संजय मिश्रा, डॉ. शुभी माथुर, डॉ. अशोक तिवारी, डॉ. एसडी तिवारी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

घरों के सामने कचरा दिखे तो जुर्माना लगाएं

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि नगर निगम द्वारा कचरा उठाव को लेकर इतने अधिक इंतजाम किए जाने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो रही है। भारी मात्रा में प्रतिदिन पॉलीथिन निकल रही है। घरों के सामने कचरे के रूप में पॉलीथिन आदि पड़ी रहती है। कार्यशाला में यह सुझाव दिया गया कि जिनके घरों के सामने कचरा दिखे उन पर नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था की जाय।

पॉलीथिन से कैंसर

कार्यशाला में लोगों को पॉलीथिन से होने वाले खतरे की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसमें जहरीले तत्व होते हैं। यह कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। कार्यशाला में बताया गया कि पॉलीथिन को सूंघकर देखिए उससे बदबू आएगी। इस पॉलीथिन में जब हम सब्जी आदि घरों में ले जाते हैं तो इसके जहरीले तत्व उसमें चले जाते हैं। ये जहरीले तत्व हमारे शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी पुरानी व्यवस्था पर ही चलें। घर से झोला लेकर निकलें।

ई-वेस्ट दुनिया के लिए बड़ा खतरा

ई-वेस्ट को लेकर विशेषज्ञ डॉ. फजल हुसैन ने कहा कि दुनिया के लिए यह एक बड़ा खतरा है। ई-वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। इसकी ग्रोथ 18 से 22 प्रतिशत पहुंच चुकी है। यदि इसके सही निष्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब खेल के मैदान नहीं बचेंगे। पानी प्रदूषित हो जाएगा। पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा खतरा है। इससे सचेत होने की आवश्यकता है। ई-वेस्ट के निष्पादन को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

भोपाल मॉडल पर काम करने की जरूरत

प्लास्टिक ई-वेस्ट को लेकर विशेषज्ञ इम्तियाज अली ने कहा कि पॉलीथिन प्रतिबंध के आदेश मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आम जनता को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि भोपाल मॉडल पर काम करने की जरूरत है। पॉलीथिन का सही निष्पादन होना चाहिए। भोपाल में इस कार्य से लोगों को रोजगार मिला है। सीमेंट फैक्ट्रियों में पॉलीथिन से ईंधन तैयार होने लगी है। पॉलीथिन का उपयोग सड़कों के निर्माण में होने लगा है। उन्होंने बताया कि 22 हजार 23 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने 10 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि पॉलीथिन का उपयोग सड़क निर्माण में करने के कई फायदे हैं। यह सड़क ज्यादा समय तक चलती है। इसकी लागत भी 12 प्रतिशत कम होती है। उन्होंने बताया कि भोपाल और इंदौर में लोग काफी जागरूक हुए हैं। भोपाल में बर्तन बैंक बनाया गया है। यहां के लोग पॉलीथिन और डिस्पोजल से लगातार दूरी बना रहे हैं।

प्रतिबंध के बाद भी हो रहा था पॉलीथिन का उपयोग

अनूपपुर (आरएनएन)। प्रदेश सरकार द्वारा पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग, क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया है, बावजूद इसके पवित्र नगरी अमरकंटक में धड़ल्ले से पॉलीथिन कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा था। बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव कुमार महरा के मार्गदर्शन में टीम ने जब अमरकंटक पहुंचकर कार्यवाही शुरू की तो, प्रतिबंधित पॉलीथिन दुकानों में मिली, जिन्हें जब्त करते हुए नष्ट करने के लिये नपा के अमले को सौंप दिया गया।

4 किलो पॉलीथिन जब्त

पीसीबी की टीम ने अमरकंटक में कार्यवाही शुरू की तो कई दुकानों से 4 किलो 800 ग्राम पॉलीथिन जब्त की गई, वहीं कार्यवाही के दौरान कई दुकानों में जूट से निर्माण थैलों का उपयोग होना पाया गया। जिन दुकानदारों के संस्थान ने पॉलीथिन जब्त की गई है, उनके विरूद्ध कार्यवाही तो की गई है साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई, कि अगर भविष्य में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग या इस्तेमाल उनके द्वारा किया जायेगा तो शासन के नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। पीसीबी के वैज्ञानिक डॉ.आनंद कुमार दुबे ने बताया कि इस दौरान अमरकंटक में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर पॉलीथिन के इस्तेमाल से पर्यावरण और मानव के साथ ही प्राणियों को होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की गई, ताकि लोगों में जन जागरूकता आये और वह पॉलीथिन न प्रयोग न करें। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही पीसीबी के बालेन्द्र सिंह सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

संवरने लगे कान्ह के किनारे, लाइटिंग पोल लगाए

इंदौर | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कान्ह नदी की सफाई को लेकर काफी गंभीरता बरत रहा है। इसके चलते विभाग ने हालही में गंदगी फैलाने वाले 53 उद्योगों की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस के साथ ही सभी उद्योगों की पूरी सूची सौंपी है।

कान्ह नदी में गंदगी फैलाने वाले 53 उद्योगों की बिजली काटने के निर्देश

भास्कर संवाददाता | इंदौर

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कान्ह नदी की सफाई को लेकर काफी गंभीरता बरत रहा है। इसके चलते विभाग ने हालही में गंदगी फैलाने वाले 53 उद्योगों की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस के साथ ही सभी उद्योगों की पूरी सूची सौंपी है। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र को भी उद्योगों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया है।

ये सभी उद्योग कान्ह नदी के किनारे पर स्थापित हैं और अपने कारखानों से निकलने वाली गंदगी को कान्ह नदी में डाल रहे हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जहां निकलने वाले वेस्ट को कान्ह नदी में या फिर उसके किनारे पर डाला जा रहा। 23 जनवरी को नोटिस दोनों विभागों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे लेकर दोनों विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन उद्योगों की सूची दोनों विभागों को सौंपी उनमें रासायनिक कारखाने, टेक्सटाइल कारखाने, साबुन की फैक्टरियां, फॉर्मा कंपनियां आदि शामिल हैं। हालांकि 21 उद्योगों को प्रदूषण नियमों का पालन नहीं करने पर हो चुकी है न्यायिक कार्रवाई।

राज्य संग्रहालय में जनपरिषद की छठवीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन पर बोले प्रमुख सचिव अनुपम राजन

कई प्रयासों के बाद भी प्रदूषण कंट्रोल में नहीं

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

राज्य संग्रहालय में जनपरिषद की तीन दिवसीय छठवीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सोमवार को समापन हुआ। समारोह में अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एनके त्रिपाठी ने कहा कि विदेश में ही नहीं देश के अनेक महानगर भीषण प्रदूषण की गिरफ्त में आ गए हैं। प्रमुख सचिव पर्यावरण अनुपम राजन ने कान्फ्रेंस में कहा कि पर्यावरण विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, कई प्रयासों के बाद भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कान्फ्रेंस में आने वाले सुझावों पर आगे कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

चरम पर है प्रदूषण, कई शहरों का पानी पीने लायक नहीं

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के उप लोकायुक्त जस्टिस सुशील कुमार पालो ने कहा कि जन परिषद की कान्फ्रेंस का विषय विश्व की चिंताओं को प्रकट करने वाला है। विश्व के शहर गंभीर प्रदूषण की स्थितियों के कारण रहने लायक नहीं बचे है। जल और वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। अनेक शहरों में पीने के पानी की जो भारी किल्लत हो गई है, वह संपूर्ण विश्व समुदाय को इस विषय के बारे में गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित करती है।

कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए 119 से ज्यादा शोध पत्र

तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग स्थानों से शामिल हुए लोगों ने 119 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। पांच डेलीगेट्स को पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया। आभार प्रदर्शन एडमिरल राकेश पंडित ने किया। संचालन रामजी श्रीवास्तव ने किया।

शोध- वेस्ट से बन सकता है बायो डीजल

कश्मीर से आए स्टूडेंट आशिफ हुसैन ने अपने शोध पत्र में बताया है कि गेहूं, चावल और वुड के वेस्ट मटेरियल को कंपोज्ड कर बायो पेट्रोल और बायो डीजल बनाया जा सकता है। इस वेस्ट में फंगस का इस्तेमाल कर बायो डीजल, पेट्रोल को प्राप्त किया जा सकता है। इससे भारत में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों की ज्यादा खपत कम की जा सकती है। और साथ ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित

मंडीदीप

नवदुनिया प्रतिनिधि।

रासायनिक दुर्घटनाओं से संबंधित परिस्थितियों से निपटने और उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की स्थापना की गई है। सेंटर का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। केंद्र को राज्य शासन द्वारा रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। गठित राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप एलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेशियली टॉक्सिक केमिकल से सतत संपर्क रखता है। केंद्र द्वारा शासकीय और अर्द्धशासकीय संस्थाओं के साथ लोगों को जानकारी दी जाएगी।

जल संसाधन मंत्री ने दिए निर्देश

नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर की जाए कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

पर्यावरण विभाग द्वारा मंगलवार को मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय के कॉफ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जल संसाधन विभाग के मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्य और प्रस्तावित योजना की जानकारी प्रमुख सचिव द्वारा प्रजेंटेशन द्वारा दी गई। समीक्षा के दौरान अधिकारीगण उपस्थित थे।

नदियों को प्रदूषण मुक्त करने पर जोर

मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि वचन पत्र में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया गया है। उन्होंने देवास और नागदा स्थित उद्योगों पर विशेष निगरानी, नगरीय ठोस अपशिष्ठ के नियमानुसार डिस्पोजल, नगरीय निकायों से उत्पन्न घरेलू दूषित जल उपचार की व्यवस्था पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा था कि शिप्रा में मिलता है उद्योगों का पानी, जांच करें

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम रात तक नागधम्मन के किनारे घूमी

देवास। नईदुनिया प्रतिनिधि

रविवार को प्रदूषण बोर्ड की टीम भोपाल से देवास पहुंची तथा रात तक नागधम्मन नदी के किनारे व आसपास पैदल घूमी। इस दौरान चार उद्योगों का पानी नागधम्मन तक जाता दिखाई दिया। इस पर टीम ने सेंपल लिए और उद्योगों को पानी न छोड़ने की समझाइश दी। टीम प्रदेश के लोक निर्माण व पर्यावरण मंत्री सज्जन वर्मा के निर्देश पर देवास आई थी।

कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया था। प्रदेश के लोक निर्माण व पर्यावरण मंत्री सज्जन वर्मा ने पद संभालते ही कांग्रेस वचनपत्र पर काम शुरु कर दिया है। शनिवार को वर्मा भोपाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस पहुंचे थे। जहां ऑफिस निरीक्षण के बाद अधिकारियों को शिप्रा में उद्योगों का पानी मिलने की बात कही। निर्देश दिए थे कि जाकर हकीकत पता करें। इस-पर टीम सुबह करीब 11 बजे देवास पहुंची थी। जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना, अधीक्षण यंत्री एसएस मालवीय, लॉ ऑफिसर सुधीर श्रीवास्तव और केंद्रीय प्रयोग शाला भोपाल मुख्य रसायनज्ञ आलोक सक्सेना शामिल थे। टीम के साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी केएल चौधरी, सीनियर वैज्ञानिक दिलीप केशरे भी थे। सभी लोग दोपहर को नागधम्मन नदी पर पहुंचे। यहां से पैदल-पैदल उस जगह तक पहुंचे जहां नदी शिप्रा में मिलती है। इस दौरान नागधम्मन में मिलने वाले नाले जिधर से आ रहे थे उन गांवों में भी पहुंचे। टीम ने ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें प्रदूषण बोर्ड अधिकारी चौधरी का नंबर देकर कहा कि जहां भी गड़बड़ होती दिखाई दे तत्काल फोन पर सूचना दें।

भोपाल से जांच करने देवास आए दल ने पानी का सैंपल लिया।

चार उद्योगों के पानी के लिए सेंपल

भोपाल से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान राज पायोनियर्स, जाजू सर्जिकल्स, केशव इंडस्ट्रीज, शारदा मिनरल्स से गंदा पानी नालों में मिलता दिखाई दिया। यही पानी नागधम्मन में होकर शिप्रा में मिलता है। इसके लिए वहां से पानी के नमूने लिए है। उद्योगों को समझाइश दी है कि वे पानी बाहर छोड़ना बंद करे। नमूनों की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सभी नदियों को प्रदूषणमुक्त करेंगे

लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया कि शिप्रा में उद्योगों का पानी मिलने की शिकायतें काफी पुरानी है। कई बार लोगों को दूषित पानी के कारण छाले होने की बात भी सामने आई थी। इसे लेकर अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे। शिप्रा का यही पानी उज्जैन तक जाता है, मामला आस्था के साथ प्रदूषण से भी जुड़ा है। हमने वचन पत्र में नदियों प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया है। प्रदेश की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, शिप्रा की जांच इसकी शुरुआत है।

गड़बड़ी मिली तो करेंगे कार्रवाई

केएल चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हमने यहां पर पहले भी जांच की थी। कुछ उद्योगों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की है। नाइट विजन कैमरे भी लगाए हैं। इस बार भी यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

भोपाल प्रदूषण बोर्ड की टीम ने किया निरीक्षण

नागधम्मन नदी के आसपास के 4 उद्योगों से निकलने वाले पानी का लिया सैंपल

भास्कर संवाददाता | देवास

कांग्रेस की सरकार आने के बाद सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सज्जनसिंह वर्मा ने मंत्री की शपथ लेने के बाद 29 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री वर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र के तहत कहा, आप प्रदेश की उन नदियों का निरीक्षण करें जिसमें गंदा और केमिकलयुक्त पानी मिल रहा है।

इस दौरान कहा देवास की नागधम्मन नदी आगे चलकर शिप्रा से मिलती है। इस नदी में उद्योगों से केमिकलयुक्त पानी छोड़ा जाता है। मंत्री की बैठक के दूसरे दिन रविवार को भोपाल से टीम देवास पहुंची और नागधम्मन नदी का निरीक्षण किया।

भोपाल की टीम क्षेत्र के लोगों से चर्चा करते हुए।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अभय सक्सेना भोपाल ने बताया हमारी टीम में अधीक्षण यंत्री एसएस मालवीय, सुधीर श्रीवास्तव लॉ अधिकारी, आलोक सक्सेना प्रयोगशाला भोपाल व देवास से दिलीप केशरे ने नागधम्मन नदी का निरीक्षण किया।

इस दौरान रसूलपुर से लेकर जहां तक उद्योग दिख रहे थे, वहां पहुंचकर पानी देखा गया। इस दौरान आसपास के लोगों से चर्चा भी की, जिन्होंने रात में उद्योगों से गंदा पानी छोड़ने की बात बताई। सक्सेना ने बताया, हमरी टीम ने राज पायोनियर, जाजू सर्जिकल, केशव इंडस्ट्रिज व शारदा मिनलर प्रायवेट कंपनी के पानी का सैंपल लिया है। इस सैंपल को प्रयोगशाला में चेक किया जाएगा। हमें निरीक्षण के दौरान नदी के आसपास गंध आ रही थी, जिससे लग रहा था, रात के समय पानी छोड़ा जा रहा है। हमने क्षेत्र के लोगों को मोबाइल नंबर दे दिए हैं, रात में पानी छोड़ने पर हमें तत्काल फोटो खींचकर वाट्सएप करें। साथ ही फोन लगा दे, जिससे हमारी देवास की टीम रात में ही मौके पर जाकर कार्रवाई कर सके।

डेढ़ लाख की 20 क्विंटल अमानक पॉलीथिन पकड़ी

ट्रेंचिंग ग्राउंड पर की नष्ट, देवासगेट बस स्टैंड पर बस से माल उतरने के दौरान निगम ने पकड़ा, अहमदाबाद से भेजी गई थीं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

उज्जैन. शहर में पॉलीथिन कैरी बैग प्रतिबंध होने के बावजूद अन्य प्रदेशों से यहां भारी मात्रा में माल सप्लाय होता है। मंगलवार सुबह निगम अमले ने देवासगेट बस स्टैंड क्षेत्र में बाबा ट्रेवल्स की बस पर अहमदाबाद से लाई गई 20 क्विंटल अमानक पॉलीथिन पकड़ी। ना तो इसके कोई बिल थे, ना ही जिसके लिए माल आया उसका नाम। लिहाजा निगम गैंग ने माल जब्ती में लेते हुए गोदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजकर इसे नष्ट करा दिया। पकड़ी गई पॉलीथिन की कीमत डेढ़ लाख रुपए के करीब है। बता दें कि पिछले माह भी निगम टीम ने देवासगेट से ही 15 क्विंटल पॉलीथिन जब्त कर नष्ट कराई थीं।

देवासगेट क्षेत्र से पकड़ी गई अमानक पॉलीथिन।

पॉलीथिन का माइक्रोन चेक करते निगम अधिकारी।

उपयोग प्रतिबंधित होने के बावजूद कतिपय लोग गुजरात से अमानक पॉलीथिन मंगवाते हैं। फिर यही माल रिटेल व्यापारियों के जरिए फुटकर दुकानदारों तक पहुंचता है। मंगलवार सुबह 8.30 बजे अपर आयुक्त मनोज पाठक, उपायुक्त योगेंद्र पटेल, सहा. स्वास्थ्य अधिकारी पुरुषोत्तम दुबे, निरीक्षक मुकेश भाटी आदि ने ये पॉलीथिन जब्त कराई। मौके पर पंचनामा बनाकर जांच की गई तो ट्रेवल्स संचालक के पास कागज के नाम बिल्टी मिली, जिसमें 500 रुपए का हिसाब था। भेजने वाले व माल प्राप्ति वाले का कोई नाम तक उल्लेख नहीं था। अपर आयुक्त पाठक ने ट्रेवल्स संचालकों को भी हिदायत दी कि अब पॉलीथिन लेकर नहीं आएं, अन्यथा आप पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी।

इंदौर वाले समझ गए, उज्जैन में मनमानी

उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने कहा कि पहले इंदौर में भी भारी मात्रा में अमानक पॉलीथिन अन्य शहरों से आती थीं, लेकिन वहां भी निगम द्वारा रोक लगाने के बाद से वहां के व्यापारी से लेकर छोटे दुकानदार, फेरी वाले तक समझ गए। अब वहां पॉलीथिन नजर नहीं आती, जिससे नालियों के चोक होने, गंदगी की समस्या कम हुई। वहीं इनके खाने से पशुओं की मौत में भी कमी आई। अब उज्जैन के व्यापारियों को भी केरी बैग उपयोग में लाना चाहिए।